




(1)



237

समक्ष :- न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल खालिदा
अपील प्रकरण क्रमांक-

1. म०१० शासन द्वारा जिलाध्यक्ष क लो.
2. उपपंजीयक क लो, जिला क लो म०१०

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. धनधामदास मंगलानी पिता मूलचन्द मंगलानी,
निवासी बल्लभ भाई पटेल वार्ड क लो म०१०
2. चेतनदास पिता चंद्रमल सोमनानी,
बल्लभ भाई पटेल वार्ड क लो, जिला क लो म०१०

-- उत्तरवादी गण

अपील अन्तर्गत धारा 47क१5१ म०१० रुटास्य अधिनियम.

पह अपील सम्माननीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त कमिश्नर सम्भाग जबलपुर, अपील प्रकरण क्रं. 49/बी/105/2006-07 पक्षकार धनधामदास पिता मूलचन्द मंगलानी वगैरा विरुद्ध शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31/10/2006 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है। म०१० लिखतों का न्यून मूल्यांकन नियम 1975 के नियम 9१।१ को जानकारों प्रदर्शनी पो-1 के रूप में संलग्न है।

प्रकरण के तथ्य

१।१ पह कि प्रकरण की विषय वस्तु संक्षिप्त में यह है कि उपपंजीयक क लो के समक्ष दिनांक 31/3/2005 को प्रस्तुत दस्तावेज कीमतों 1,56,000/- प्रचलित दर पर निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें क्रेता धनधाम दास मंगलानी एवं चेतामल सोमनानी एवं विक्रेता चेतनदास सोमनानी दर्शाये गये हैं, परन्तु बेनामा में उक्त वर्णित प्रश्नाधीन मकान बाजार मूल्य से प्रचलित दर पर कम होने के कारण प्रश्नाधीन सम्पत्ति का स्थल परीक्षण कराया जाना प्रेरित किया गया, परन्तु पक्षकार द्वारा स्थल परीक्षण नहीं कराया गया, विक्रय वृद्धा सम्पत्ति खुले बाजार पर स्थित है, तत्कालीन गाळू नगर

Handwritten signature/initials

31/10/07 को प्रस्तुत।
31/10/07
व्यय संविध
मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल

20/11/07

31/10/07
K. Yogi
Adv.
Ramesh Jangra
Jharkhand

अनुसार विक्रय वृद्धा सम्पत्ति का बाजार मूल्य 28,63,000/- रुपये अं
किया गया तत्कालीन मूल्यांकन पात्रक पर तत्कालीन अधिनियम के अन्तर्गत

(2)


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 211-दो/07

जिला-कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16. 2.17	<p>यह अपील शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र० क्र० 49/बी-105/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2006 से व्यथित होकर अंतर्गत धारा 47(5) म०प्र० स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा कय की गई संपत्ति के दस्तावेज का निष्पादन दिनांक 31.03.2005 कीमत रूपये 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये के संबंध में उपपंजीयक कटनी द्वारा प्रचलित दरों के आधार पर कम मूल्यांकित होने के कारण भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की संशोधित धारा 47(क)(1) तहत उचित मूल्यांकन हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी कर आलोच्य आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर में अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त द्वारा 13.10.06 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर संपत्ति का अवधारित मूल्य में 30 प्रतिशत की कमी कर</p>	





(3)

-2- प्रकरण क्रमांक अपील 211-दो/07

आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर उपपंजीयक द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3- शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक उपस्थित होकर निवेदन किया था कि स्थल निरीक्षण कराया जाये जिसे कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्वीकार करते हुये स्वयं मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया गया। एवं निरीक्षण में पाया कि प्रश्नाधीन संपत्ति प्रथम तल पर स्थित व्यवसायिके उपयोग की उक्त दुकान है एवं सहन व्यवसाय क्षेत्र में स्थित है। उनके द्वारा आगे तर्क में कहा गया है कि संपत्ति के बाजार मूल्य के लिये गुडबिल एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जिसके आधार पर उक्त प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 25,76,000/- (पच्चीस लाख, छियत्तर हजार) अवधारित करते हुये कमी मुद्रांक शुल्क 2,57,670/- (दो लाख, सत्तावन हजार, छै सौ सत्तर) जमा करने का आदेश पारित किया है वह विधि प्रावधानों से उचित है। अंत में उनके द्वारा यह निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जावे।

4- प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किया है वह उचित एवं सही है। प्रत्यर्थी का मकान करीब 20 वर्ष पुराना है जो कि गाटर, चीप का है। जिसकी जुड़ाई चूने से की गई है। विवादित संपत्ति व्यवसायिक क्षेत्र में नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि शासन द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जावे।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। अपीलार्थी अधिवक्ता


P/114

(4)

-3- प्रकरण क्रमांक अपील 211-दो/07

द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपील में उल्लेख किया गया है। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि उपपंजीयक कटनी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रचलित दर पर निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें क्रेता घनश्यामदास, मंगलानी एवं चेतामल सोमलानी एवं विक्रेता चेतनदास सोमनानी दर्शाये गये हैं परन्तु बैनामा में उक्त वर्णित प्रश्नाधीन मकान बाजार मूल्य से प्रचलित दर पर कम होने के कारण प्रश्नाधीन संपत्ति का स्थल परीक्षण कराया जाने प्रेषित किया गया। विक्रयशुदा संपत्ति खुले बाजार में स्थित है, तत्कालीन गाइड लाइन अनुसार विक्रयशुदा संपत्ति का बाजार मूल्य 28,63,000/- (अट्ठाइस लाख, तिरेसठ हजार) अवधारित किया गया है। तत्पश्चात् मूल्यांकन मानकर मुद्रांक अधिनियम की धारा 47क(1) के अनुसार मूल्यांकन निवारण अधिनियम 1975 के प्रावधानों पर अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित नहीं किया है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश दिनांक 31.10.06 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश दिनांक 31.12.2005 स्थिर रखते हुये अपील स्वीकार की जाती है।


सदस्य

